

**Date: January 30, 2024**

**To**

<b>The Manager – Listing</b> National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 <b>Symbol: RAMASTEEL</b>	<b>The Secretary</b> BSE Limited, Corporate Relationship Dept., P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001. <b>Scrip Code: 539309</b>
--	--

**Sub: Newspaper Publication for Dispatch of Postal Ballot Notice**

Dear Sir/Madam,

In continuance outcome of Board Meeting held on January 24, 2024 and pursuant to provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the newspaper clippings regarding publication of the Postal Ballot Notice of the Company, published in Financial Express (English) and Jan Satta (Hindi) dated January 30, 2024 are enclosed. The aforesaid information will also be available on the Company's website at [www.ramasteel.com](http://www.ramasteel.com).

Kindly place the same on your record.

Thanking you,

**For Rama Steel Tubes Limited**

  
**Arpit Suri**  
Company Secretary  
Email: [investors@ramasteel.com](mailto:investors@ramasteel.com)



**Encl.: As Above.**







RAMA STEEL TUBES LTD.

CIN : L27201DL1974PLC007114

Regd. Office : B-5, 3rd Floor, Main Road, Ghaziipur, New Delhi (India) - 110096

+ (91)-(11)-43446600 investors@ramasteel.com www.ramasteel.com

पोस्टल बैलट सूचना

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 को धारा 110 तथा एमसीए परिपत्रों के अनुसार (जैसा कि नीचे परिभाषित है)

रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों को निर्मातलिखित विशेष व्यवसाय पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट के माध्यम से सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नोटिस दिया जाता है:

क्र.सं.	विवरण	प्रस्ताव
1	कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के पूंजी खंड में संशोधन	साधारण
2	प्रतिभूति प्रौद्योगिकी खाते के पूंजीकरण द्वारा बोनस शेयरों का निर्गमन	साधारण

सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और ऐसे अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों (किसी भी वैधानिक संहिता) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 110 और अन्य तत्कालीन लागू प्रावधानों के विधिक संशोधन(नौ) या उसके पुनः अधिनियमनों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ('एमसीए') द्वारा जारी साधारण परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 तथा साधारण परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर 2020, परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून 2021, परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021, परिपत्र संख्या 3/2022 दिनांक 05 मई, 2022, परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022, और परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 ('एमसीए परिपत्र') तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 (इसके पश्चात सामूहिक रूप से 'परिपत्र' संदर्भित) के अनुसार सूचना दिनांक 24 जनवरी, 2024 में उल्लिखित व्यवसायों के संदर्भ में साधारण प्रस्ताव, जैसा प्रयोज्य हो, के लिए उनके अनुमोदन हेतु सम्बन्धित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस तथा अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए'), मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड ('बिगशेयर') के माध्यम से अपने सभी सदस्यों के पास जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत किये हैं, को पोस्टल बैलट सूचना ('नोटिस') भेजने का कार्य रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ('कम्पनी') ने 299 जनवरी, 2024 को पूरा कर लिया है।

प्रत्येक सदस्य का वोटिंग अधिकार कट ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 19 जनवरी, 2024 को कंपनी की पेज अप डिविडेंडी शेयर पूंजी में उसके हिस्से के अनुपात में होगा, जिस पर वोटिंग के लिए विचार किया जाएगा। कोई व्यक्ति जो कटऑफ तिथि, यानी शुक्रवार, 19 जनवरी, 2024 को सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

कंपनी ने अपने सदस्यों को 'रिमोट ई-वोटिंग' सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग को सुविधा मंगलवार, 30 जनवरी, 2024 को सुबह 09:00 बजे भारत मानक समय ('भा.मा.स.') से बुधवार, 28 फरवरी, 2024 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) तक दोनों दिन शामिल, तक जारी रहेगी।

निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलट प्रक्रिया के संचालन के लिए श्री अरुण कुमार गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है।

कंपनी के सदस्यों को भी सूचित किया जाता है और अनुरोध किया जाता है कि वे ध्यान दें कि:

- (क) रिमोट ई-वोटिंग के लिए आवश्यक निर्देश दिनांक 24 जनवरी, 2024 को सूचना में निर्धारित किए गए हैं।
- (ख) सदस्य द्वारा एक बार संकल्प पर वोट देने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने या दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ग) सदस्यों के मतदान का अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता डिविडेंडी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होगा।
- (घ) एमसीए परिपत्रों के संदर्भ में पोस्टल बैलट नोटिस और 'रिमोट ई-वोटिंग' के लिए प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए और पंजीकृत सदस्यों के लिए पोस्टल बैलट नोटिस, व्याख्यात्मक विवरण, रिमोट ई-वोटिंग निर्देश तथा ईमेल पंजीकरण की प्रक्रिया एनएसडीएल को ई-वोटिंग वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर उपलब्ध है। पोस्टल बैलट नोटिस तथा व्याख्यात्मक विवरण बीएसई लिमिटेड को वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर तथा स्टॉक एक्सचेंज की प्रासंगिक वेबसाइट जिस पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और साथ ही कंपनी की वेबसाइट [www.ramasteel.com](http://www.ramasteel.com) पर भी उपलब्ध है।
- (ङ) एमसीए परिपत्रों के आलोक में, जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप उन्हें ई-वोटिंग नोटिस नहीं दिया जा सका है, वे अस्थायी रूप से अपना ईमेल पता कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास पंजीकृत करवा सकते हैं। शेयरधारक आरटीए के साथ अपने ई-मेल पते को पंजीकृत/अपडेट करने के लिए ईमेल: [bssdelhi@bigshareonline.com](mailto:bssdelhi@bigshareonline.com) पर अनुरोध भेज सकते हैं। ईमेल के सफल पंजीकरण के बाद, उचित प्रक्रिया का अनुपालन करके शेयरधारक को अपने पोस्टल बैलट के लिए ई-वोटिंग को सक्षम करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ नोटिस की कॉपी कॉपी और ई-वोटिंग की प्रक्रिया प्राप्त होगी।
- (च) यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-मेल पते के त्रुटिपूर्ण पंजीकरण के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स के संबंध में और भौतिक होल्डिंग्स के संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन करके कंपनी के आरटीए, बिगशेयर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें।
- (छ) एमसीए परिपत्रों के अनुसार, वोटिंग केवल रिमोट ई-वोटिंग द्वारा की जा सकती है। चूंकि रिमोट ई-वोटिंग के लिए किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से बैठक में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होती है, सदस्यों को इट्टता से सलाह दी जाती है कि वे स्वयं रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया का उपयोग करें न कि किसी अन्य व्यक्ति/प्रतिबंध के माध्यम से। इसके अलावा पोस्टल बैलट फॉर्म और प्री-पेज बिजनेस लिफाफे के साथ पोस्टल बैलट नोटिस को कोई हार्ड कॉपी इस पोस्टल बैलट के लिए सदस्यों को नहीं भेजी जाएगी और सदस्यों को केवल 'रिमोट ई-वोटिंग' प्रणाली के माध्यम से अपनी सहमति और असहमति की सूचना देनी होगी।
- (ज) 'रिमोट ई-वोटिंग' से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आप [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders का संदर्भ ले सकते हैं या 022 - 4886 7000 तथा 022 - 2499 7000 पर कॉल करे या [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेजें।
- (झ) पोस्टल बैलट के परिणामों की घोषणा शुक्रवार, 1 मार्च, 2024 को या उसके पहले, अर्थात् 'रिमोट ई-वोटिंग' के माध्यम से मतदान के समापन के अधिकतम दो कार्य दिवसों के बाद की जाएगी। इसे कंपनी की वेबसाइट, [www.ramasteel.com](http://www.ramasteel.com) और एनएसडीएल को वेबसाइट, [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर पोस्ट किया जाएगा और उन स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

निदेशक मंडल के इशारेनुसार रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के लिए

नरेश कुमार बंसल  
प्रबंध निदेशक  
डीआईआईडी: 00119213

दिनांक: 29.01.2024  
स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 27.01.2024  
स्थान: फरीदाबाद

TATA  
पंजीकृत कार्यालय : 11बी मॉडल, मार्ग, लोडार परेड, मुम्बई-400013

कक्षा सूचना (3)  
[प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम

जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आरितियों के प्रतिभूतिकार 2002 के तहत टाटा कैपिटल हाइसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित च इल्लिखित कर्जदारों से कथित सूचना की प्राप्ति की ति पुनर्मुतातन करने के लिए कहते हुए एक नीचे उल्लिखि कर्जदारों द्वारा गणित के पुनर्मुतातन में असफल रहने ने एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग व्यञ्जित रूप से ऋणकर्ता और जनसामान्य को एत चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्र और नीचे उल्लिखित तिथि से दृष्टांतक व्याज, प्रभा लिमिटेड के अधिचंगों का विषय होगा। प्रतिभूत आरितियों को छुड़ाने के लिए उन्हे उपलब्ध सा को धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर

ऋण खाता सं.	दायित्वधारि(यों)/विधि उत्तराधिकारी(यों)/विधि प्रतिनिधि(यों) के ना
9760519	स्वर्गीय श्री सुरेशील कुमार अग्रवाल उपनम श्री गिरधारी लाल अपने कानूनी उत्तराधिक (कर्जदार के रूप में), श्रीमती कौर्ति अग्र सुशील कुमार अग्रवाल उपनम सु कर्जदार/कानूनी उत्तराधिकारी), श्री सु सुशील कुमार अग्रवाल उपनम सुशील क प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से, सु श्री सुशील कुमार अग्रवाल उपनम सु श्री और प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से स्वर्गीय श्री सुशील कुमार अग्रवाल उपन मी और प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से

प्रतिभूत संपत्तियों/चल संपत्तियों का विवरण: आ भूतल (छत के अधिकार के बिना), टावर संख्या 470 वर्ग फुट यानी 43.67 वर्ग मीटर, नीचे की भूमि रामपुर के पास, परगना डासन, तहसील धौलाना, जिलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के स

TCHHLO 703000	स्वर्गीय श्री मोहम्मद मोमिन सैफी मोहम्मद यूसीन अपने कानूनी उत्तरा (उधारकर्ता के रूप में) और स्वर्गीय सय्यम सैफी उर्फ सय्यम उर्फ शबनम र स्वर्गीय श्री मोहम्मद मोमिन सैफी कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से कर्जदार), श्री मोहम्मद रेहान सैफी पु श्री मोहम्मद मोमिन सैफी (सह-कर्जदार उत्तराधिकारी), श्री मोहम्मद अदवान र स्वर्गीय श्री मोहम्मद मोमिन सैफी, उत्तराधिकारी), सुश्री फरहीन सैफी पु श्री मोहम्मद मोमिन सैफी, अपने संरक्षक के माध्यम से, श्री मोहम्मद फै पुत्र स्वर्गीय श्री मोहम्मद मोमिन सैफी प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से, श्री आसिफ पुत्र श्री आस मोहम्मद (गार्डर), श्री मोहम्मद कासिफ पुत्र मोहम्मद (व्यक्तिगत गार्डर)
---------------	---

प्रतिभूत संपत्तियों/चल संपत्तियों का विवरण: आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, कुल क्वार्टर एरि 10, पानी की टंकी के पास, सेक्टर - 04, मेरठ जिलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के मीटर), पश्चिम - प्लॉट नंबर 4/906 (साइड 11.1 मीटर), दक्षिण - प्लॉट नंबर 4/921 (साइड 5.6

तिथि 25.01.2024  
स्थान : हापुड/मेरठ (उत्तर प्रदेश)



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड  
भू तल, 4/65, पदम सिंह मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, दू

वित्तीय परिश्रमपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2011.00 से देयहर 12.00 व

एतद्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटीकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता कि निम्न विवरणित अचल संपत्तियां/प्रतिभूत परिसंपत्तियां, प्रतिभूत क्र 13(2) के अंतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक उधारकर्ता के समक्ष निम्न दिये गये विवरणों के अनुसार उधारकर्ताओं/गारंटियों/बंधकर्ताओं (यहां) इसमें इसके बाद उधारकर्ताओं 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों ने अधोवर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों का भौतिक/सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है। जबकि, मांग सूचन कोई, घटाकर, की वसूली के लिये सार्वजनिक ई-नीलामी के माध्यम से प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय किया जाना है। इस हेतु सर्वसाधारण को निमंत्रित किया जाता है कि

क्र. सं.	उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि तथा उधर में अंकित	प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण	अधिग्रहण व (नीतिक
----------	--	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------